रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 15, 2011/फाल्गुन 24, 1932
No. 135] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 15, 2011/PHALGUNA 24, 1932

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2011

सा.का.नि. 214(अ).—केन्द्रीय सरकार तेल उद्योग (विकास) अधिनियम 1974 (1974 का 47) की धारा 31 के साथ पठित धारा (5) की उप-धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1990 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (पेंशन) (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रदत्त होंगे।

2. तेल उद्योग विकास बोर्ड कर्मचारी (पेंशन) नियम, 1990 (इसके पश्चात् यह मूल नियम संदर्भित है) में नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"14 'परिलब्धियां' शब्दावली से केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश के अनुसार पेंशन की गणना के लिए परिलब्धियां अभिप्रेत हैं।"

3. मूल नियमों में, नियम 16 में, "अधिवर्षिता की आयु", शब्दों के स्थान पर "अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. मूल नियमों में, नियम 20 में "तीन सौ पच्चहतर रुपये प्रति मास", शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमास" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

श्रेणी-I

(क) विधवा या विधुर मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तारीख तक, इसमें से जो भी पहले हो,

(ख) पुत्र या पुत्री (विधवा पुत्री सहित) उसके विवाह या पुनर्विवाह की तारीख तक अथवा उसके धनोपार्जन करने की तारीख तक अथवा 25 वर्ष की आयु पूरी करने तक इनमें से जो भी पहले हो।

श्रेणी-II

(ग) अविवाहित या विधवा या तलाकशुदा पुत्री, जो उपर्युक्त श्रेणी-I में शामिल नहीं है, के विवाह या पुनर्विवाह की तारीख तक अथवा उसके धनोपार्जन करने तक अथवा मृत्यु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो।

(घ) माता-पिता जो पूरी तरह से कर्मचारी पर आश्रित थे जब वह जीवित था/थी, बशर्ते कि मृतक कर्मचारी के न कोई विधवा अथवा न ही सन्तान हो।

(2) कुटुम्ब पेंशन एक समय में कुटुम्ब के केवल एक ही सदस्य को देय होगी।

(3) आश्रित माता-पिता, अविवाहित या तलाकशुदा या विधवा पुत्री की कुटुम्ब पेंशन मृत्यु होने तक जारी रहेगी :

बशर्ते कि कुटुम्ब पेंशन इन व्यक्तियों को तभी देय होगी जब श्रेणी-I के अन्तर्गत परिवार के अन्य पात्र सदस्य कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए अपात्र हो गए हैं तथा कुटुम्ब पेंशन प्राप्त करने के लिए कोई विकलांग संतान भी नहीं है।

(4) संबंधित श्रेणी में संतान को कुटुम्ब पेंशन की स्वीकृति उनकी जन्म तिथि के अनुसार देय होगी तथा लघुतर संतान कुटुम्ब पेंशन के लिए तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अधिक आयु वाली संतान उस श्रेणी में कुटुम्ब पेंशन की प्राप्ति के लिए अपात्र नहीं हो जाती :

बशर्ते कि यदि कुटुम्ब पेंशन जुड़वां बच्चों को देय है तो यह उन बच्चों को बराबर भाग में देय होगी :

(5) मूल नियमों में, नियम 21 में, दूसरे प्रावधान में "तीन सौ पच्चहतर रुपये प्रतिमास" शब्दों के स्थान पर "तीन हजार पाँच सौ रुपये प्रतिमास" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।।

(6) मूल नियमों में, नियम 24 में,—

(क) उप-नियम (1) में "औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के 50 प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप-नियम (2) हटा दिया जाएगा ।

7. मूल नियमों में, नियम 24 के बाद निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"24क. वृद्ध पेंशनधारियों के लिए अतिरिक्त पेंशन : अतिरिक्त पेंशन की मात्रा पेंशनधारी की आयु के आधार पर निम्नवत् निर्धारित होगी :

पेंशनधारी की आयु	पेंशन की अतिरिक्त राशि
80 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 85 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 90 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 95 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 100 वर्ष से कम	मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष और उससे अधिक	मूल पेंशन का 100 प्रतिशत

8. मूल नियमों में, नियम 25 में, उप-नियम (2) हटा दिया जाएगा ।

9. मूल नियमों में, नियम 27 में, खण्ड (ग) में, "पेंशन पा रहा था" शब्दों के स्थान पर "पेंशन या अनुकम्पा भत्ता पा रहा था" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

10. मूल नियमों से नियम 28 में, उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(1) कुटुम्ब पेंशन मृतक कर्मचारी के कुटुम्ब को देय होगी तथा 'कुटुम्ब शब्द को' कर्मचारी के साथ संबंध में निम्नानुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा :

पुनः बशर्ते कि जब उनमें से एक बच्चे की पात्रता खत्म हो जाती है तो उसका भाग दूसरे बच्चे के पास वापिस आ जाएगा और यदि उन दोनों की पात्रता खत्म हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन अगले पात्र बच्चे या जुडवां बच्चों को देय होगी ।"

11. मूल नियमों में, नियम 29 हटा दिया जाएगा ।

12. मूल नियमों में, नियम 30 में,—

(क) उप-नियम (1) में, "अथवा सामान्य दरों पर अनुदेय कुटुम्ब पेंशन के दुगने के बराबर, इनमें से जो भी कम हो" शब्द हटा दिए जाएंगे ।

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम çfrLFkkfir fd;k tk,xk%&

"(2) कुटुम्ब पेंशन की यह उच्चतम दर कर्मचारी की मृत्यु की तारीख के ठीक बाद की तारीख से बिना किसी उच्च आयु-सीमा के लागू हुए 10 वर्ष की अवधि तक के लिए देय होगी ।"

(ग) उप-नियम (3) में, "65 वर्ष की आयु" शब्द तथा अंक के स्थान पर "67 वर्ष की आयु" शब्द तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

13. मूल नियमों में, नियम 31 में,—

(क) खण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) यदि एक से अधिक ऐसे बच्चे हैं जो मानसिक विकार या निःशक्तता से ग्रसित हैं या शारीरिक रूप से अपंग या निःशक्त हैं तो कुटुम्ब पेंशन उनके जन्म के क्रमानुसार दी जाएगी तथा लघुतर को कुटुम्ब पेंशन तभी मिलेगी जब उससे बड़ा या बड़ी की पात्रता खत्म हो जाती है :

बशर्ते कि यदि कुटुम्ब पेंशन जुडवां बच्चों को देय है तो यह उनको बराबर भाग में दी जाएगी :

पुनः बशर्ते कि जब उनमें से एक बच्चे की पात्रता खत्म हो जाती है तो उसका भाग दूसरे बच्चे के पास वापिस आ जाएगा और यदि उन दोनों की पात्रता खत्म हो जाती है तो कुटुम्ब पेंशन अगले पात्र बच्चे या जुडवां बच्चों को देय होगी ।"

(ख) खण्ड (IV) में उप-खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(क) ऐसे किसी पुत्र या पुत्री को कुटुम्ब पेंशन देने से पहले, नियुक्ति अधिकारी स्वयं की संतुष्टि करेंगे कि अपंगता इस प्रकृति की है कि यह संबंधित पुत्र या पुत्री को अपनी जीविका चलाने से रोकती है तथा यह एक चिकित्सा अधिकारी जो सिविल सर्जन के पद से कम पर न हो, से लिए गए प्रमाण-पत्र जिसमें जहाँ तक संभव हो बच्चे की सही मानसिक तथा शारीरिक दशा दर्शायी गई हो, से प्रमाणित है;

(कक) स्वयं या संरक्षक के माध्यम से कुटुम्ब पेंशन प्राप्त कर रहा ऐसा पुत्र या पुत्री हर तीन साल में एक चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, से एक प्रमाण-पत्र लेगा कि वह अभी भी शारीरिक रूप से अक्षम या अपंग है ।"

14. मूल नियमों में, नियम 32 में, उप-नियम (3) में, खण्ड (iii) में, "सेवानिवृत्ति की तारीख के तीन मास पूर्व" शब्दों के स्थान पर "सेवानिवृत्ति की तारीख के आठ मास पूर्व" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

15. मूल नियमों में, नियम 33 में उप-नियम (1) में, "सेवानिवृत्ति की तारीख के तीन मास पूर्व" शब्दों के स्थान पर "सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ माह पूर्व" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

16. मूल नियमों में, नियम 36 में, उप-नियम (3) में, "संरक्षक से यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह ऐसे बालक की ओर से यदि उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर ली है तो उक्त प्रारूप में कोई दावा प्रस्तुत करे" शब्दों के स्थान पर "संरक्षक को बालक की ओर से फार्म 5 में दावा प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि बालक ने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

17. मूल नियम में, नियम 41 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"41. पेंशन मासिक दरों पर निर्धारित की जाएगी और प्रतिमाह यह उस माह जिससे यह संबंधित है, के अंतिम कार्य-दिवस या उसके बाद देय होगी। केवल मार्च महीने के लिए यह अप्रैल मास के प्रथम दिन या उसके बाद देय होगी"।

18. मूल नियमों में, नियम 45 एवं 46 हटा दिए जाएंगे।

19. मूल नियमों में, नियम 48 में "अपनी पेंशन के एक तिहाई" शब्दों के स्थान पर "अपनी पेंशन का चालिस प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. जी-37026/4/2003-वित्त-II]

पी. कल्याणसुन्दरम, निदेशक (आई/सी) एवं वित्त

पाद टिप्पणी.—मूल नियम सा.का.नि. 917(अ), दिनांक 16 नवम्बर, 1990 द्वारा अधिसूचित किए गए।

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2011

G.S.R. 214(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 5 read with Section 31 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Oil Industry development Board Employees' (Pension) Rules 1990, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Oil Industry Development Board Employees' (Pension) (Amendment) Rules, 2011.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Oil Industry Development Board Employees' (Pension) Rules, 1990 (hereinafter referred to as the principal rules), for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:—

"14. The term 'emoluments' means emoluments as determined by the order of the Central Government issued from time to time for computation of pension.".

3. In the principal rules, in rule 16 for the words "age of superannuation", the words "age of compulsory retirement" shall be substituted.

4. In the principal rules, in rule 20, for the words "three hundred and seventy five rupees per month", the words "rupees three thousand five hundred per month" shall be substituted.

5. In the principal rules, in rule 21, in the second proviso, for the words "three hundreds and seventy five rupees per month", the words "rupees three thousand five hundred per month" shall be substituted.

6. In the principal rules, in rule 24,—

(a) in sub-rule (1), for the words "fifty per cent of 'average emoluments' ", the words "fifty per cent emoluments or average emoluments" shall be substituted.

(b) sub-rule (2) shall be omitted.

7. In the principal rules, after rule 24, the following rule shall be inserted, namely :—

"24A. Additional Pension to the old pensioners.—The additional quantum of pension shall be determined on the basis of the age of pensioner as under :

Age of Pensioner	Additional quantum of Pension
From 80 years to less than 85 year	Twenty per cent of basic pension
From 85 years to less than 90 years	Thirty per cent of basic pension
From 90 years to less than 95 years	Forty per cent of basic pension
From 95 years to less than 100 years	Fifty per cent of basic pension
From 100 years or more	Hundred per cent of basic pension

8. In the principal rules, in rule 25, sub-rule (2) shall be omitted.

9. In the principal rules, in rule 27, in clause (c), for the words "in receipt of a pension", the words "in receipt of a pension or compassionate allowance" shall be substituted.

10. In the principal rules, in rule 28, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(1) The family pension shall be payable to the family of the deceased employee and the term 'Family', in relation to an employee, shall be categorized as under :

Category-I

(a) Widow or widower, up to the date of death or re-marriage, whichever is earlier;

(b) son or daughter (including widowed daughter), up to the date of his or her marriage or re-marriage or till the date he or she starts earning or till the age of 25 years, whichever is the earliest.

Category-II

(c) Unmarried or widowed or divorced daughter not covered by Category-I above, up to the date of marriage or re-marriage or till the date she starts earning or up to the date of death, whichever is earliest.

(d) Parents who were wholly dependent on the Government Servant when he or she was alive

provided the deceased employee had not left behind him either a widow or a child.

(2) The family pension shall be payable to only one member of the family at a time.

(3) The family pension payable to dependent parents, unmarried or divorced or widowed daughter shall continue till death :

Provided that the family pension shall be payable to such persons only after the other eligible family members in Category-I have ceased to be eligible to receive family pension and there is no disabled child to receive the family pension.

(4) Grant of family pension to children in respective categories shall be payable in the order of their date of birth and younger of them shall not be eligible for family pension unless the next above him or her has become ineligible for grant of family pension in that category :

Provided that where the family pension is payable to twin children, it shall be paid to such children in equal shares :

Provided further that when such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and when both cease to be eligible, the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children."

11. In the principal rules, rule 29 shall be omitted.

12. In the principal rules, in rule 30,—

(a) in sub-rule (1), the words "or twice the family pension admissible at normal rates, whichever is less" shall be omitted.

(b) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) This higher rate of family pension shall be payable from the date following the date of death of the employee for a period of ten years without any upper age limit."

(c) in sub-rule (3), for the words and figures "age of 65 years", the words and figures "age of 67 years" shall be substituted.

13. In the principal rules, in rule 31,—

(a) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely :—

"(ii) If there are more than one such children suffering from disorder or disability of mind or who are physically crippled or disabled, the family pension shall be paid in order of their birth and the younger of them will get the family pension only after the elder next above him or her ceases to be eligible :

Provided that where the family pension is payable to such twin children, it shall be paid to them in equal shares :

Provided further that where one such child ceases to be eligible, his or her share shall revert to the other child and when both of them ceases to be eligible, the family pension shall be payable to the next eligible single child or twin children."

(b) in clause (iv), for sub-clause (a), the following sub-clauses shall be substituted, namely :—

"(a) before allowing the family pension for life to any such son or daughter, the appointing authority shall satisfy himself that the handicap is of such nature as to prevent such son or daughter from earning his or her livelihood and that the same is evidenced by a certificate obtained from a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon setting out, as far as possible, the exact mental or physical condition of the child;

(aa) such son or daughter receiving the family pension either by self or through a guardian shall produce every three years a certificate from a medical officer not below the rank of a Civil Surgeon to the effect that he or she continues to be physically crippled or disabled".

14. In the principal rules, in rule 32, in sub-rule (3), in clause (iii), for the words "three months before the date of retirement", the words "eight months before the date of retirement" shall be substituted.

15. In the principal rules, in rule 33, in sub-rule (1), for the words "three months before the date of retirement", the words "eight months before the date of retirement" shall be substituted.

16. In the principal rules, in rule 36, in sub-rule (3), for the words "In case the employee was on extraordinary a claim in the said Form", the words "The guardian shall not be required to submit the claim in Form 5" shall be substituted.

17. In the principal rules, for rule 41, the following rule shall be substituted, namely :—

"41. Pension shall be fixed at monthly rates and shall be payable every month on or after the last working day of the month to which the pension relates except for the month of March when it shall be payable on or after first working day of April.".

18. In the principal rules, rules 45 and 46 shall be omitted.

19. In the principal rules, in rule 48, for the words "one third of his pension" the words "forty per cent of his pension" shall be substituted.

[F. No. G-37026/4/2003-Fin. II]

P. KALYANASUNDARAM, Director (IC) & Finance

Footnote.—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 917(E), dated the 16th November, 1990.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.